सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.03.2023

अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 कुंटल 51 किलो 250 ग्राम अवैध गाँजा(अनुमानित कीमत 57 लाख रू0) व रू0 20500/- नगद बरामदः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने त्योहार के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे। उक्त निर्देशन के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर लक्ष्मीकान्त गौतम के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनाकं 09.03.2023 को थाना कोतवाली नगर व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व विक्री करते हुए 04 अभियुक्त 01. सफीक अहमद 02. अब्दुल खालिक उर्फ बाबा 03. बृजेश कुमार यादव 04. मंदीप यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 कुंटल 51 किलो 250 ग्राम अवैध गाँजा (अनुमानित कीमत 57 लाख रू0) व रू0 20500/- नगद बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. सफीक अहमद पुत्र अहमद अली निवासी नई बस्ती महाराजगंज को0नगर, जनपद गोण्डा।
02. अब्दुल खालिक उर्फ बाबा पुत्र जुम्मन निवासी इन्द्रानगर कालोनी को0नगर, जनपद गोण्डा।
03. बृजेश कुमार यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी शुकुलपुरवा कटहामाफी थाना को0नगर, जनपद गोण्डा।
04. मंदीप यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवसी ग्राम महादेवा थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-213/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-
01. कब्जे से 05 कुंटल 51 किलो 250 ग्राम अवैध गाँजा
02. रू0 20500/- नगद बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम -
01. प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।
02. एस0ओ0जी0 प्रभारी संतोष कुमार सिंह मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

<u>सराहनीय कार्य</u>

<u>प्रेस - नोट</u>

<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>

<u>दिनांक 09.03.2023</u>

होली मिलन के दौरान एक राय होकर हमला करने वाले 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद चाकू बरामदः-

दिनांक 08.03.2023 को थाना छपिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढढ़ौवा निवासी अनिल मिश्रा पुत्र महादेव मिश्रा ने थाना छपिया पर लिखित सूचना दी कि होली मिलन हेतु उसके घर पर कुछ लोग आए हुए थे। इसी बीच विपक्षीगण एक राय होकर जान से मारने की नियत से हमारे घर पर आए व चाकू, डंडा से मारे पीटे है तथा कट्टा फायर कर घायल कर दिए है। उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में थाना छपिया में टीमें गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के क्रम में आज दिनांक 09.03.2023 को थाना छपिया पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 65/2023, धारा 323, 324, 307 भादवि का वांछित आरोपी अभियुक्तगण 01. आलोक शुक्ला व 02. अमित शुक्ला उर्फ टाइपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है।तथा उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगण ने थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत होली मिलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ एक राय होकर जान से मारने की नियत से चाकू, डंडा से मारे पीटे तथा कट्टा फायर कर घायल कर दिए थे। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

<u>नाम व पता अभियुक्तगण-</u>

01. आलोक शुक्ला पुत्र स्व0 राधेश्याम शुक्ला निवासी ढढौवा थाना छपिया जनपद गोंडा।
02. अमित शुक्ला उर्फ टाइपिंग पुत्र स्व0राधेश्याम शुक्ला निवासी ग्राम ढढौवा थाना छपिया जनपद गोंडा।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0 65/2023, धारा 323, 324, 307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम</u>

उ0नि0 राकेश कुमार ओझा मय टीम थाना छपिया जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त अमित शुक्ला उर्फ टाइपिंग पुत्र स्व0राधेश्याम शुक्ला का अपराधिक इतिहास</u>

01. मु0अ0स0 108/21 धारा 307, 504, 506 भादवि थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती।
02. मु0अ0स0 483/20 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 229/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 228/21 धारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।